

## शिक्षित एवं अशिक्षित विवाहित महिलाओं का पारिवारिक समायोजन

डॉ. अर्चना मिश्रा

असि0 प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग) शिया पी0जी00 कॉलेज, लखनऊ

परिवार समाज की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है। भारतीय समाज की आधारभूत संस्था परिवार है। परिवार का निर्माण महिला और पुरुष के पारस्परिक विवाह द्वारा होता है। महिला और पुरुष दोनों पारिवारिक जीवन के दो पहिये होते हैं। सामान्यतः आन्तरिक उत्तरदायित्व महिला का होता है और बाह्य पुरुष का। पुरुष यद्यपि परिवार के पालन पोषण हेतु धन अर्जित करता है और अन्य बाह्य उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है किन्तु एक परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बनाये रखने एवं परिवार की आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी महिला की होती है। इसके साथ ही एक परिवार अपितु एक वंश को चलाने, संस्कार प्रदान करने और उचित मार्ग पर अग्रसर करने का अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य भी महिला ही करती है। महिला माँ के रूप में बालक की प्रथम शिक्षक होती है। उसके द्वारा दिया गया ज्ञान और संस्कार बालक जीवन भर धारण करता है और अगली पीढ़ी को सम्प्रेषित करता है। अतः इस प्रथम गुरु का शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षित विवाहित महिला परिवार वंश तथा समाज के लिये एक अमूल्य सम्पत्ति होती है। भारतीय समाज में यद्यपि महिलाओं को अत्यन्त श्रद्धा के साथ देखा जाता है और उन्हें सम्माननीय स्थान दिया जाता है किन्तु शिक्षित महिला समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाती है। भारत में विवाहित महिला को अन्नपूर्णा और अन्य अनेक उपमाओं से सुशोभित किया जाता है। शब्दों द्वारा दिये गये सम्मान के साथ यह भी आवश्यक है कि महिलाओं को सन्तुष्ट एवं सुखद जीवन प्राप्त हो भारतीय सभ्यता में चूँकि महिलाओं की पारिवारिक भूमिका अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि विवाहित महिलाओं को अपने परिवार में सन्तुष्टि समाज में उचित स्थान तथा व्यवहारिक जीवन में स्वतन्त्रता प्राप्त हो। इस हेतु महिलाओं की शिक्षा उन्हें पर्याप्त कुशल एवं विवेकशील बनाती है। महिलाओं के व्यवहार, रहन-सहन, दृष्टिकोण एवं चिन्तन पर शिक्षा का गहरा प्रभाव



पड़ता है। प्रस्तुत अनुसन्धान के अन्तर्गत विवाहित महिलाओं की पारिवारिक समायोजन क्षमता पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया गया है, जिससे प्राप्त निष्कर्ष प्रस्तुत हैं:—

### विश्लेषण :—

1. शिक्षित महिलाओं में से 74 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि उनकी सास उनके कार्य की प्रशंसा करती है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से केवल 54 प्रतिशत ने ऐसा माना है। अतः स्पष्ट है कि अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा शिक्षित महिलाओं का अपनी सास से अपेक्षाकृत अच्छा समायोजन है।

2. शिक्षित महिलाओं में से 75 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि उनका उनकी सास से झगडा नहीं होता है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 42 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि उनका उनकी सास से झगडा नहीं होता है। अतः परिवार के सदस्यों से सामंजस्य स्थापित करने में शिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। शिक्षित विवाहित महिलायें परिवार के सदस्यों से समायोजन स्थापित करने में अधिक सफल होती है।

3. शिक्षित महिलाओं में से 54 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि उन्हें घर के बाहर परिवार वालों की पसन्द के कपड़े पहनना अच्छा लगता है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 72 प्रतिशत में यह माना है कि उन्हें घर के बाहर परिवार वालों की पसन्द के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाओं में फैशन का प्रभाव अधिक होने के कारण यह अपनी पसन्द के कपड़े पहनना अधिक पसन्द करती है, जिसके कारण शिक्षित महिलाओं के परिवार के सदस्यों के साथ समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है।

4. शिक्षित महिलाओं में से 90 प्रतिशत महिलायें यह मानती हैं कि शिक्षित होने से उनकी समायोजन क्षमता कम नहीं होती है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 68 प्रतिशत महिलाएँ ऐसा मानती है स्पष्ट है कि समायोजन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली



महिलाओं में शिक्षित महिलायें अधिक है। दूसरे शब्दों में शिक्षा के प्रभावस्वरूप शिक्षित महिलाओं की पारिवारिक समायोजन क्षमता बढ़ जाती है।

5. शिक्षित महिलाओं में से 53 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि वह हर बात को तर्कसंगत लगने पर ही स्वीकार नहीं करती है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 43 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि वह हर बात को तर्कसंगत लगने पर ही स्वीकार नहीं करती है। शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाओं में हठधर्मिता की आदत न विकसित होने के कारण वह समझदारी का प्रयोग करते हुए परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ समायोजन स्थापित करने में अधिक सफल होती हैं।

6. शिक्षित महिलाओं में से 25 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि यह परिवार के सदस्यों की गलत बात को विरोध नहीं करती है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 39 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि यह परिवार के सदस्यों की गलत बात का विरोध नहीं करती हैं। शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाएँ सही-गलत का ज्ञान तथा उचित व अनुचित के मध्य निर्णय लेने में सक्षम होने के कारण परिवार के सदस्यों की गलत बात का विरोध करती हैं, जिसके कारण शिक्षित महिलायें परिवार के सदस्यों के साथ समायोजन स्थापित करने में सफल नहीं होती हैं।

7. शिक्षित महिलाओं में से 60 प्रतिशत ने माना कि वह अपने परिवार के सदस्यों को अपने हिसाब से बदलना नहीं चाहती है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 42 प्रतिशत महिलाओं ने ऐसा माना शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाओं में परिस्थितियों व व्यक्तियों से समायोजन स्थापित करने की क्षमता होने के कारण वह स्वयं ही उनके हिसाब से बदल जाती है तथा उनसे यह अपेक्षा नहीं रखती है कि वे उनके अनुसार बदले, जिसके कारण शिक्षित महिलाओं का परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समायोजन होता है।



8. शिक्षित महिलाओं में से 87 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना कि उनके मन में कभी ऐसी इच्छा नहीं होती है कि वह अपना घर और परिवार को छोड़कर कहीं चली जायें जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 70 प्रतिशत ने ऐसा माना शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाओं में परिवार की प्रतिकूल परिस्थितियों एवं समस्याओं के माधान में अपनी भूमिका और अपने दायि के जागरूकता आती है। अतः शिक्षित महिलाएँ परिवार को छोड़कर जाने के स्थान पर परिस्थितियों का धैर्य व समझदारी से सामना कर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा सामंजस्य स्थापित करती हैं।

9. शिक्षित महिलाओं में से 84 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की पसन्द का भोजन बनाना पसन्द है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 45 प्रतिशत ने ऐसा माना है। अतः उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि शिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अधिक है। शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाएं परिवार के सदस्यों की रुचियों का अधिक ध्यान रखकर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समायोजन स्थापित करती है।

10. शिक्षित महिलाओं में से 87 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि उन्हें घर के रीति-रिवाजों व परस्पराओं का पालन करना अच्छा लगता है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 78 प्रतिशत ने ऐसा माना शिक्षित महिलाएं परिवार के रीति-रिवाजों व परस्पराओं के प्रति अधिक जागरूक है। शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाओं का घर के रीति-रिवाजों व परस्पराओं के प्रति दृष्टिकोण अधिक व्यापक और उदार हुआ है, जिसके कारण शिक्षित महिलाओं को परिवार के साथ समायोजन स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

11. शिक्षित महिलाओं में से 22 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि वह अपने घर की साज-सज्जा परिवार वालों की पसन्द की करना चाहती है जबकि 29 प्रतिशत अशिक्षित महिलाओं ने ऐसा माना है। शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाओं में फैशन का प्रभाव



अधिक होने के कारण वह अपने घर की साज-सज्जा अपने तरीके से करना चाहती हैं। अतः शिक्षित महिलाओं का परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समायोजन स्थापित नहीं हो पाता है।

12. शिक्षित महिलाओं में से 83 प्रतिशत ने माना कि वह पूरे परिवार के साथ बाहर घूमना पसन्द करती है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 51 प्रतिशत महिलाओं ने ऐसा माना है।

13. शिक्षित महिलाओं में से 87 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि उन्होंने विवाह करके कोई गलती नहीं की है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 60 प्रतिशत महिलाओं ने ऐसा माना है। शिक्षित महिलाएँ अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा विवाह सम्बन्ध को अधिक महत्त्व देती हैं। महिलाओं की बढ़ती शिक्षा ने वैवाहिक सम्बन्धों की मधुरता को बढ़ा दिया है, जिसके कारण भी शिक्षित महिलाएँ परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समायोजन करती हैं।

14. शिक्षित महिलाओं में से 80 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि उनके परिवार वाले उनकी भावनाओं और इच्छाओं की कद्र करते हैं जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 51 प्रतिशत महिलाओं ने ऐसा माना है। शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाओं को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण उनकी भावनाओं और इच्छाओं की अधिक कद्र होती है, जिससे शिक्षित महिलाओं का परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समायोजन स्थापित होता है।

15. शिक्षित महिलाओं में से 78 प्रतिशत ने यह माना है कि वह अपनी उलझन का समाधान परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श करके करती है जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 45 प्रतिशत महिलाओं ने ऐसा माना है। शिक्षा के प्रभावस्वरूप विवाहित महिलाएँ समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका को सीमित समझती है, जिसके कारण शिक्षित विवाहित महिलाएँ अपनी समस्या का समाधान परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श करके करती हैं।



16. शिक्षित महिलाओं में से 95 प्रतिशत महिलाओं ने यह माना है कि शिक्षित महिलाएँ अधिक अच्छा समायोजन करती हैं जबकि अशिक्षित महिलाओं में से 91 प्रतिशत महिलाओं ने ऐसा माना है।

### परिकल्पना से प्राप्त निष्कर्ष

1. विवाहित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। शिक्षित विवाहित महिलाएँ, अशिक्षित विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से पारिवारिक समायोजन करती हैं।

2. शहरी विवाहित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर शिक्षा का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षित शहरी विवाहित महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक अच्छा पारिवारिक समायोजन करती हैं।

3. पारिवारिक समायोजन के प्रति ग्रामीण विवाहित महिलाओं के दृष्टिकोण पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। शिक्षित ग्रामीण विवाहित महिलाएँ अधिक अच्छा पारिवारिक समायोजन करती हैं।

4. कार्यरत विवाहित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप कार्यरत विवाहित महिलाओं की पारिवारिक समायोजन क्षमता बढ़ जाती है।

5. शिक्षा का प्रभाव अकार्यरत विवाहित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर भी पड़ता है। शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप शिक्षित अकार्यरत विवाहित महिलाएँ, अशिक्षित अकार्यरत विवाहित महिलाओं की अपेक्षा अधिक अच्छा समायोजन करती हैं।



6. पारिवारिक समायोजन के प्रति हिन्दू विवाहित महिलाओं के दृष्टिकोण पर शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सकारात्मक प्रभाव हिन्दू विवाहित महिलाओं को पारिवारिक समायोजन से सहयोग प्रदान करता है।

7. मुस्लिम विवाहित महिलाओं के पारिवारिक समायोजन पर भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। शिक्षित मुस्लिम विवाहित महिलाएं अधिक अच्छा पारिवारिक समायोजन करती हैं।

8. सामान्य वर्ग की विवाहित महिलाओं की पारिवारिक समायोजन क्षमता पर भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के प्रभाव के कारण सामान्य वर्ग की विवाहित महिलायें अपेक्षाकृत अच्छा पारिवारिक समायोजन करती हैं।

9. पारिवारिक समायोजन के प्रति आरक्षित वर्ग की विवाहित महिलाओं के दृष्टिकोण पर भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के प्रभाव के फलस्वरूप आरक्षित वर्ग की शिक्षित विवाहित महिलाएं अधिक अच्छा समायोजन करती हैं।

### सुझाव

1. माध्यमिक स्तर पर परिवार शिक्षा के नाम से एक पाठ्यक्रम सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं हेतु अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए, जिसकी विषय सामग्री समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा गृहविज्ञान को मिलाकर तैयार की जाये और जो भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों तथा धार्मिक संस्कारों पर आधारित हो ताकि शिक्षा से आधुनिकता के नाम पर उचित परम्पराओं की हत्या न हो और विवाहित महिलाओं में स्वसुख के स्थान पर सबके सुख में अपना सुख की भावना विकसित हो सके तथा साथ ही पुरुष भी महिलाओं को समझ सकें और उनकी सही बात को स्वीकार करने में अपने को नीचा न समझें।



2. उचित एवं सत्य साक्षात्कार हेतु सरकारी स्तर पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रत्येक शोधार्थी साक्षात्कार लेने हेतु अपने को निर्धारित विधि से निर्धारित कार्यालय में पंजीकृत कराये तथा कुछ सरकारी कर्मचारी अथवा समाजसेवी (जैसे महिला एवं पुरुष पुलिस अथवा एन०जी०ओ० के सदस्य आदि) शोधार्थी के साथ जायें और न्यादर्श में सम्मिलित इकाई को एकांत और सुरक्षित माहौल में साक्षात्कार देने की व्यवस्था करें ताकि वह अपने वास्तविक विचारों को प्रकट कर सकें। इस सेवा हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क भी वसूल किया जाना चाहिए। साक्षात्कारकर्त्ताओं के लिए यह सेवा अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होना चाहिए।

3. कुछ ऐसे गैर-राजनैतिक तथा गैर-आर्थिक संगठनों का सरकारी सहायता एवं संस्था में निर्माण किया जाना चाहिए जो समय-समय पर घर-घर जाकर महिलाओं से मिलें और पारिवारिक समस्याओं को दूर करने हेतु उनका सहयोग करें और यदि उन महिलाओं का दृष्टिकोण गलत है, तो उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप उचित परामर्श प्रदान करें।

4. अशिक्षित एवं ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक है। अतः ग्रामीण स्तर पर एवं अशिक्षित महिलाओं के लिए ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए जिससे उनमें साक्षरता का विस्तार हो।

5. एक ऐसी संस्था का निर्माण ग्राम पंचायत स्तर तथा मोहल्ला स्तर पर किया जाना चाहिए जो कम से कम सप्ताह में एक बार उन महिलाओं को गाँव की चौपाल या मोहल्ले के किसी एक निर्धारित स्थान पर एकत्र करें और उन्हें अपनी अभिव्यक्ति का स्वतन्त्रता का अवसर दें तथा पारिवारिक समायोजन के प्रति जागरूक एवं चिन्तन योग्य बनायें।





6. सरकार को सेन्सर बोर्ड के माध्यम से ऐसे टी०वी० धारावाहिकों पर रोक लगानी चाहिए जो पारिवारिक विखंडन को प्रोत्साहित करते हैं और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को चुनौती देते हैं।

7. इस प्रकार के शैक्षिक एवं सामाजिक प्रयास किये जाने चाहिए कि पुरुष एवं बुजुर्ग परिवार में विवाहिता की भूमिका एवं मनादेश को समझ सकें और उसकी भावनाओं की कद्र करते हुये उसे उचित सम्मान देने में अपना असम्मान अनुभव न करें।

8. शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से पारिवारिक समायोजन एवं पारस्परिक सेवा पर बल दिया जाना चाहिए।

9. विवाहित महिलाओं विशेषकर ग्रामीण एवं अशिक्षित महिलाओं की कुंठा को दूर करने के लिए एवं उनके अन्दर आत्मविश्वास एवं जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय स्तर पर समाचार पत्र पर एक ऐसा साप्ताहिक कालम प्रकाशित करना प्रारम्भ करें, जिनमें अशिक्षित एवं ग्रामीण महिलाओं का विभिन्न सामाजिक एवं पारिवारिक विषयों पर साक्षात्कार लिया गया हो। इस कालम के प्रकाशित होने पर सामने आने वाली समस्याओं का निदान भी समाज से प्राप्त हो जायेगा।

10. उपर्युक्त की भाँति स्थानीय दूरदर्शन चैनलों के लिए भी यह सुझाव दिया जाता है कि वे भी कम से कम 15 दिन में एक बार किसी न किसी उपर्युक्त विषय अथवा समस्या पर ग्रामीण में एवं अशिक्षित महिलाओं का साक्षात्कार टी०वी० पर प्रसारित करें।

### संदर्भ—सूची

1. जागरण वार्षिकी, (2012) नोएडा दैनिक जागरण प्रेस, पृष्ठ संख्या 291।
2. नाइक, डॉ० जाकिर, इस्लाम में औरतों के अधिकार इस्लामिक बुक सर्विस, नई दिल्ली।



- 
3. अटल, योगेश, 2006, चेन्जिंग इण्डियन सोसाइटी, जयपुर रावत पब्लिकेशन्स ।
  - 4, सिंह, योगेन्द्र 1977, सोशल स्टर्टिफिकेशन एण्ड चेन्ज इन इण्डिया, नई दिल्ली ।
  - 5, बिना दीवारों का घर मन्नु भण्डारी ।